अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

241225/RA रामगोपाल VS बाबूलाल

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/99 श्री मंगलाराम चौधरी श्री हेमन्त बाबू सक्सेना आर्टीस्ट	
07/11/24	रामगोपाल बनाम बाबूलाल वगैरह (2024 / 99) पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना–पत्र हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 126 / 2024 बउनवानी रामगोपाल बनाम बाबूलाल वगैरह का अंतिम निस्तारण कर दिया गया है जिसकी अपील अभिभाषक अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है जिसके अपील संख्या 2024 / 119 बउनवानी रामगोपाल बनाम बाबूलाल है, आगामी पेशी दिनांक 20.11.2024 में नियत है चुँकि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है जो सारहीन हो चुकी है, इसलिए खारिज फरमायी जावें । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 126 / 2024 बउनवानी रामगोपाल बनाम बाबूलाल वगैरह का अंतिम निस्तारण कर दिया गया है, चुँकि प्रस्तुत यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई है जो सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner